(128)

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 / 2018 अपील अपील - 0371/2019/टीकमगढ़/भू.रा.सं.

महिला श्रीमती लीला राजपूत पत्नि स्व श्री पप्पू राजपूत निवासी –ओरछा तत्कालीन जिला टीकमगढ वर्तमान जिला निवाडी म.प्र. ....अपीलार्थी

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय टीकमगढ
2. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी निवाडी जिला टीकमगढ
3. श्रीमान नायव तहसीलदार ओरछा जिला टीकमगढ
4. श्रीमान नजूल अधिकारी महोदय निवाडी म प्र.

....उत्तरवादीगण

प्रस्तुत 5-3-19 तर्क हेतु दिनांक 25-3-19 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 5-3-19 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

अपील आवेदन पत्र अतर्गत धारा 44 के तहत म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील क 284 / 2018–19 मे पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14.2.2019 के विरूद्ध ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहकि ,प्रकरण के संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 249 / 2 रकवा 7.615 हे स्थिति ओरछा तहसील ओरछा में है। जिसके अंश भाग रकवा 1.214 हे. भूमि पर अपीलार्थी के ससुर मुलू तन धनू लोधी का कब्जा लगभग 50 वर्षो से निरंतर चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमि राजस्व अभिलेख में पट्टे के आधार पर अपीलार्थी के ससुर के नाम खसरे में दर्ज चली आर रही है। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रतिवेदन प्रेषित किया कि नगर ओरछा जंगल की भूमियो जिनका विवरण पी–1लगायत 8 में अंकित किया गया है को नजूल भूमि घोषित किया जाये । उपरोक्त संबध में तहसीलद एंव अनुविभागीय अधिकारी के प्रस्ताव पर से कलेक्टर महोदय टीकमगढ द्धारा प्रकरण क 130 / बी–121 / 06–07 दर्ज किया जाकर वगैर हितवद्ध पक्षकार का सूचना व सुनवाई का मोका दिये वगैर अपीलार्थी की भूमि को नजूल भूमि कर दी गई जिस कलेक्टर महोदय टीकमगढ के आलोच्य आदेश दिनांक 20.9.2007 की अपीलार्थी को कोई सूचना व सुनवाई का मोका नही दिया गया जिस विवादित आलोच्य आदेश की अपीलार्थी को सर्व प्रथम 17.12.2018 को हुई जिस आलोच्य आदेश की नकल दिनांक 27.12.2018 को

5-3-19

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- अपील 0377/2019/टीकमगढ/भू0रा0

महिला श्रीमती लीला राजपूत विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य तथा अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत। अपीलार्थी की ओर से श्री सुनील सिंह जौदान अभिभाषक उपस्थित। उन्हें कायमी के बिन्दु पर सुना गया। 2. प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 284/अपील/2018-19 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 14-02-2019 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत इस न्यायालय में दिनांक 14-02-2019 को प्रस्तुत की गई थी। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 में हुये नवीन संशोधन में धारा 46 के अनुसार - "कतिपय आदेशों के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी- धारा 44 में अन्तर्विष्ट किसीबात के होते हुये भी,- (क) किसी भी ऐसे आदेश की- (एक) जिसके द्वारा किसी आवेदन को परिसीमा अधिनियम, 1963(1963 का 36) की धारा 5 में विनिर्दिष्ट आधारों पर विलम्ब के विचारण के लिए मंजूर या नामंजूर किया गया है: कोई अपील नहीं होगी:" स्पष्ट है अपर आयुक्त द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अग्राहय की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर.के. जैन) सदस्य 15/3/19	